

न्यायालय:- द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड  
(समक्ष: पी0सी0आर्य)

दांडिक अपील क्रमांक: 214/2011

संस्थित दिनांक-15/6/2011

सुनील पुत्र रामकिशन मेहतर,  
आयु 25 साल, ग्राम सोनी परगना  
मेहगांव जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

-----अपीलार्थी/आरोपी

वि रु द्ध

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र मालनपुर, जिला-भिण्ड (म0प्र0) -----प्रत्यर्थी/अभियोगी

---

राज्य द्वारा श्री संजय शर्मा अपर लोक अभियोजक  
अपीलार्थी/आरोपी द्वारा श्री एम.एस. यादव अधिवक्ता

---

न्यायालय-श्री मनीष शर्मा, जे.एम.एफ.सी., गोहद, द्वारा दांडिक प्रकरण  
क्रमांक-290/2005 में निर्णय व दण्डाज्ञा दिनांक 10/5/2011 से  
उत्पन्न दांडिक अपील ।

---

## -::- निर्णय -::-

(आज दिनांक 23 जून, 2014 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. अपीलार्थी/आरोपी सुनील की ओर से उक्त दांडिक अपील धारा-374 द0प्र0सं0 1973 के अंतर्गत न्यायालय जे0एम0एफ0सी0 गोहद श्री मनीष शर्मा द्वारा दांडिक प्रकरण क्रमांक 290/2005 निर्णय दिनांक-10/5/2011 के निर्णय एवं दण्डाज्ञा से विक्षुप्त होकर प्रस्तुत की है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा-25(1-बी)(ए) आयुध अधिनियम के अपराध में एक वर्ष के सश्रम कारावास और तीन सौ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था ।

2. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बतायी गयी है कि दिनांक-9/9/2005 को पी.एस. तोमर, ए.एस.आई. रबूदी सिंह व अन्य लोगों के साथ हरीराम की कुईया पर सूचना की तशदीख हेतु पहुंचा तब एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागा, जिसे फॉर्स की मदद से घेरकर पकड़ा और उसकी तलाशी ली तो उसके पास से एक 315 बोर का कटटा व एक जिंदा राउण्ड बरामद हुआ, उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम सुनील

बताया और कटटा रखने का कोई लायसेंस पूछे जाने पर नहीं होना बताया। तब उसे मौके पर गिरफ्तार किया गया, जिसपर अपीलार्थी/आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-114/2005 तहत प्रदर्श पी-5 की रिपोर्ट दर्ज की गयी। विवेचना पूर्ण कर अभियोगपत्र विचारण हेतु सक्षम जे.एम.एफ.सी. न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

3. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियोगपत्र एवं उसके साथ संलग्न प्रपत्रों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध धारा-25(1-बी)(ए) आयुध अधिनियम के तहत आरोप लगाये जाने पर आरोपी को पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोप से इंकार किया, उसका विचारण किया गया। विचारणोपरांत अपीलार्थी को धारा-25(1-बी)(ए) आयुध अधिनियम में एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं 300 रुपये (तीन सौ रुपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, जिससे व्यथित होकर यह दाण्डिक अपील प्रस्तुत की गयी है।

4. अपीलार्थी/आरोपी की ओर से प्रस्तुत किए गये अपीलीय ज्ञापन में मूलतः यह आधार लिया है कि विवेचना के दौरान जप्तशुदा कटटे का कोई छायाचित्र नहीं बनाया गया, ना ही प्रथम सूचना रिपोर्ट में हाथ का बना हुआ कटटा लेख किया है, ना ही जप्त राउण्ड पर 8 एम.एम. लिखा होना बताया है, जबकि आर्म्स शाखा द्वारा जांच में राउण्ड पर अंग्रेजी में 8 एम.एफ.-94 लिखा है। अभियोजन द्वारा स्वतंत्र साक्षी जबरसिंह का कथन नहीं कराया गया है। रबूदी सिंह अ.सा.-1 ने हरीराम की कुईया पर हम लोग पहुंचे तो एक आदमी को घेरकर पडा था, उक्त बात प्रथम सूचना रिपोर्ट में लेख नहीं की है। अ.सा.-3 द्वारा उक्त कट्टे की चैकिंग की है, जिसमें उसने लंबाई चौड़ाई अंकित की है, जबकि जप्ती पत्रक में लंबाई चौड़ाई अंकित नहीं है, जिसको नजर अंदाज कर विद्वान निम्न न्यायालय ने कानूनी भूल की है। अभियोजन साक्षी क्र.-4 मनोज सिंह के द्वारा पुलिस कथन एवं न्यायालयीन कथन में काफी विरोधाभास है, उक्त साक्षी ने अभिसाक्ष्य दी है कि हमारी ड्यूटी थाने पर 24 घण्टा रहती है, जबकि कानूनन किसी भी शासकीय कर्मचारी की ड्यूटी 8 से 10 घण्टे से अधिक नहीं होती है। उक्त साक्षी द्वारा बताया गया कि घटनास्थल पर अन्य लोग भी उपस्थित थे, किन्तु किसी स्वतंत्र साक्षी का कथन अभियोजन द्वारा नहीं

कराया गया है । इस साक्षी का अभिसाक्ष्य है कि आरोपी भागा नहीं था खडा रहा था, ऐसी स्थिति में न्यायालयीन कथन व पुलिस कथनों में विरोधाभास सामने आये हैं । जिससे पुलिस द्वारा अपनी मन मर्जी के आधार पर अपराध पंजीबद्ध किया जाना साबित होता है । उपरोक्त कारणों से अभियोजन कहानी शंकास्पद हो जाती है और महत्वपूर्ण व सुसंगत विरोधाभास पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया और विधि, कानून के सुस्थापित सिद्धांतों को अनदेखा करते हुए निर्णय पारित किया है, इसलिये अपील स्वीकार की जाकर आलोच्य निर्णय अपास्त की जावे और अपीलार्थी/आरोपी को दोषमुक्त किया जावे एवं उसका अर्थदण्ड वापिस दिलाया जावे ।

5. अपीलार्थी/आरोपी के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलीय ज्ञापन में बताये बिन्दुओं और लिये गये आधारों के अनुरूप ही अपने मौखिक तर्क किए हैं, साथ ही विकल्प में यह निवेदन भी किया है कि मामला वर्ष 2011 का होकर करीब 03 वर्ष पुराना है, अपीलार्थी करीब 03 साल से अभियोजन का सामना कर रहा है, आरोपी युवक है, और किसान की तरह अपना व परिवार का भरण पोषण करता है, अतः उसे अर्थदण्ड पर छोड़ने का निवेदन भी किया गया है । जिसका विद्वान ए0जी0पी0 द्वारा कड़ा विरोध किया गया है कि उसे विचाराधीन आरोप से उदारतापूर्वक नहीं छोड़ा जा सकता है और अपील सारहीन होने से निरस्त की जावे और अपीलार्थी/आरोपी को उचित दण्डाज्ञा से दण्डित किया जावे ।

6. अब प्रकरण में इस न्यायालय के समक्ष अपील के निराकरण हेतु मुख्य रूप से निम्न बिन्दु विचारणीय है :-

1- “क्या, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/आरोपी के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित मानकर उसे इस अपराध में दोषसिद्ध कर दंडित करने में विधि या तथ्य की भूल की गई है ?”

2- क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई दण्डाज्ञा कठोर है ?

—::— **निष्कर्ष के आधार** —::—

7. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का अध्ययन किया गया । आलोच्य निर्णय का अवलोकन किया । उभयपक्ष के विद्वान

अधिवक्ता के तर्कों पर मनन किया गया । मूल अभिलेख के अध्ययन करने पर अभियोजन कथानक मुताबिक दिनांक-9/5/2005 को थाना मालनपुर की रात करीब 8:20 बजे मुखबिर की सूचना पर दर्ज रोजनामचा सान्हा क्रमांक-267/2005 की तस्दीख पर से उक्त अपराध पंजीबद्ध होना बताया है, जिसकी तस्दीख के लिए तत्कालीन थाना प्रभारी पी.एस. तोमर निरीक्षक, ए.एस.आई. रबूदी सिंह, प्रधान आरक्षक हरगोविंद सिंह, प्र.आर. अरविंद, आरक्षक मनोज सिंह, आरक्षक अजय सिंह के साथ रवाना हुए और हरीराम की कुईया चौराहे पर आरोपी/अपीलार्थी को पकड़ा गया, जो अवैध रूप से बिना लाइसेंस के 315 बोर का देशी कटटा मय एक जिंदा कारतूस के रखे पाया । प्रकरण में प्रधान आरक्षक हरगोविंद सिंह, अरविंद सिंह, आरक्षक अजय सिंह जो हमराह थे, उनका अभियोजन की ओर से कथन नहीं कराया गया है तथा जप्ती पत्रक प्रदर्श पी.-3 जो कि घटना का मूल आधार है, उसके पंच साक्षियों में से आम जनता का बनाया गया साक्षी जबर सिंह को भी अभियोजन की ओर से परीक्षित नहीं कराया गया है, इस आधार पर अपीलार्थी/आरोपी के विद्वान अधिवक्ता ने अभियोजन के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने और शेष परीक्षित साक्षियों के पुलिस कर्मी होकर हितबद्ध होने के आधार पर उनको अविश्वसनीय होने से घटना अप्रमाणित मानते हुए अपीलार्थी की दोषमुक्ति की प्रार्थना की है । उक्त साक्षियों के अपरीक्षित रहने के आधार पर अभिलेख पर पेश की गयी साक्ष्य को अग्राह्य या अविश्वास नहीं माना जा सकता है । यह अवश्य है कि ऐसी स्थिति में जबकि परीक्षित साक्षी भी पुलिसकर्मी हैं और मामलें में जिस प्रकार की घटना बतायी गयी है, उसे देखते हुए परीक्षित साक्षियों के सूक्ष्मता से मूल्यांकन की आवश्यकता हो जाती है ।

8. परीक्षित साक्षियों में से प्रधान आरक्षक ब्रजराज सिंह अ.सा.-3 ने अपनी अभिसाक्ष्य में दिनांक-4/10/2005 को पुलिस लाइन भिण्ड में प्रधान आरक्षक आर्म्स मोहरर रहते हुए थाना मालनपुर के अपराध क्रमांक-114/2005 धारा-25, 27 आयुध अधिनियम में जप्तशुदा 315 बोर का देशी कटटा व एक जिंदा कारतूस की जांच करना और कटटा चालू हालत में तथा कारतूस जीवित होना बताते हुए प्रदर्श पी.-2 की जांच रिपोर्ट

को प्रमाणित किया है । उसकी अभिसाक्ष्य में अन्य कोई विरोधाभास नहीं है । कटटा उसने फायर करके चैक नहीं करना कहा है, लेकिन उसका परीक्षण उसने किया है, उसकी अभिसाक्ष्य से जप्त बताया गया देशी कटटा जिसे घटना के परिवादी टी.आई. पी.एस. तोमर अ.सा.-5 ने आर्टिकल-ए और कारतूस को आर्टिकल-बी साक्ष्य में प्रदर्शित कराया है, वह चालू हालत में और कारतूस जीवित होना प्रमाणित होते हैं, लेकिन प्रकरण में मूलतः यह विचार योग्य है कि क्या उक्त कटटा, कारतूस आरोपी/अपीलार्थी से ही जप्त हुआ ? क्योंकि देशी कटटा व कारतूस का कोई वैध शस्त्र लाइसेंस नहीं बनाया जाता है और आरोपी/अपीलार्थी की ओर से भी कोई शस्त्र लाइसेंस होने की बात नहीं कही गयी है ।

9. आर्म्स क्लर्क योगेन्द्र सिंह अ.सा.-2 के मुताबिक दिनांक-5/10/05 को उक्त कटटा कारतूस तथा मालनपुर के अपराध क्रमांक-114/2005 की केस डायरी, एफ.आई.आर., जप्ती पत्रक आदि प्रस्तुत होने पर तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी सुश्री सुधा चौधरी द्वारा अभियोजन चलाने की स्वीकृत अवलोकन उपरांत दी जाना बताया है, उसकी अभिसाक्ष्य अखण्डित है और उससे प्रदर्श पी.-01 की अभियोजन स्वीकृति प्रमाणित होती है, जो विधिवत् दी जाना पायी जाती है ।

10. घटना के परिवादी एवं मौके पर जप्ती, गिरफ्तारी की कार्यवाही करने वाले तत्कालीन निरीक्षक पी.एस. तोमर अ.सा.-5 के मुताबिक थाना पर मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई है और उस सूचना पर ही मय फॉर्स के सूचना की तस्दीख हेतु वे थाने से रवाना हुए थे, किन्तु प्रकरण में एफ आई आर प्रदर्श पी.-5 में रोजनामचा सान्हा क्रमांक-267 का उल्लेख अवश्य है, किन्तु कोई रोजनामचा सान्हा रवानगी वापिसी का पेश नहीं किया गया है, और बचाव पक्ष का यह आधार भी है कि वास्तविकता में कोई घटना नहीं हुई और झूठा मामला बनाया गया है । ऐसे में उक्त प्रकार के अपराधों के लिए रोजनामचा सान्हा महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है । जिसके पेश न किए जाने से अभियोजन के विरुद्ध प्रतिकूल उपधारणा इस आशय की निर्मित होगी कि वे दस्तावेज अवश्य ही अभियोजन कथानक के विरुद्ध रहे होंगे । अन्यथा उन्हें पेश किया जाता है । ए.जी.पी. का यह तर्क कि रोजनामचा

सान्हा के बारे में कोई प्रतिपरीक्षा में तथ्य नहीं पूछे गये हैं, यह महत्व नहीं रखता क्यों कि सुस्थापित विधि मुताबिक प्रत्येक आपराधिक मामले में प्रमाण भार हमेशा से अभियोजन पर रहता है और बचाव पक्ष की किसी कमी के आधार पर अभियोजन कथानक को प्रमाणित नहीं माना जाता है । इस मामले में रोजनामचा सान्हा को पेश न किए जाना बचाव पक्ष के आधार को बल देते हैं ।

11. जहां तक मौके की कार्यवाही का प्रश्न है । सूचना रात 8:20 बजे प्राप्त हुई । मौके पर जप्ती की कार्यवाही 20 मिनिट बाद रात 8:40 बजे की गयी और गिरफ्तारी की कार्यवाही रात 8:50 बजे की गयी । जप्ती पत्रक प्रदर्श पी.-3 और गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी.-4 का स्वतंत्र साक्षी जबरसिंह पेश नहीं किया गया है । आरक्षक मनोज सिंह को अ.सा.-4 के रूप में परीक्षित कराया गया है, जिसने मुख्य परीक्षण में तो प्रदर्श पी.-3 और 4 मुताबिक साक्ष्य दी है और आरोपी को घेरकर पकड़ा जाना कहा । प्रतिपरीक्षा में वह जनता के लोगों का मौजूद होना और मौके पर अन्य लोगों का भी मौजूद होना वह पैरा-2 में बताता है, जबकि निरीक्षक पी.एस. तोमर अ.सा.-5 आरक्षक को साक्षी इसलिये बनाना पैरा-1 में कहता है कि मौके पर कोई स्वतंत्र साक्षी उपस्थित नहीं थे । ऐसे में मौके पर स्वतंत्र व्यक्तियों के उपस्थिति के संबंध में अ.सा.-4 और 5 के कथन में तात्त्विक विरोधाभास हैं । जिसका बचाव पक्ष का यह तर्क कि मौके पर कोई कार्यवाही नहीं हुई और आंकड़े पूर्ति के लिए मामला पंजीबद्ध किया गया, काल्पनिक नहीं माना जा सकता है ।

12. अभियोजन साक्षी क.-4 मुताबिक वह टी.आई. साहब के साथ गश्त के लिए गया था, जबकि कथानक मुताबिक रोजनामचा सान्हा क्रमांक-267 की तस्दीख के लिए फोर्स के साथ जाना कहा गया है । अ.सा.-4 के पैरा-3 मुताबिक आरोपी को चौराहे पर घेरकर पकड़ा और वह भागा नहीं था, इस संबंध में अ.सा.-5 का कोई कथन नहीं है और घटना के विवेचक ए.एस.आई. रबूदी सिंह अ.सा.-1 के मुताबिक आरोपी को जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वह पुलिस को देखकर भागा था और घेरकर पकड़ा था । पैरा-2 में आरोपी का दक्षिण दिशा की ओर भागना, पुलिस का पश्चिम

दिशा से जाना वह कहता है तथा पैरा-5 में उसके विपरीत यह साक्ष्य दी है कि जिस दिशा से वे गये थे, उसी दिशा से आरोपी देखकर भागा था, चूंकि उक्त ए.एस.आई. मौके पर नहीं था और उसे मौके की कोई जानकारी नहीं हो सकती ऐसे में उसका अभिसाक्ष्य विरोधाभासी है । कभी वह फैक्टरी की ओर भागरोपी का भागना कहता है, यदि उसकी बात मानी जाये फिर मनोज सिंह का अभिसाक्ष्य असत्य हो जाता है कि आरोपी नहीं भागा । यह भी इस तरह के मामलों के लिए तात्त्विक विसंगतियां हैं, जो कि अभियोजन साक्ष्य को संदिग्ध बनाती हैं ।

13. आरक्षक मनोज सिंह अ.सा.-4 मुताबिक मौके पर लिखापट्टी मतें 5 मिनट का समय लगा, जबकि प्रदर्श पी.-3 और 4 में 10 मिनट का अंतराल है । इससे बचाव पक्ष का यह तर्क के खानापूती के लिए थाना पर बैठकर झूठी कार्यवाही कर ली गयी, उसे बल मिलता है । अ.सा.-4 के मुताबिक थाने से गश्त पर जाने का कोई समय नहीं बताया है, लौटने का समय रात 8:30, 8:45 बजे का बताया है और रात 8:30 बजे मौके पर लिखापट्टी प्रदर्श पी.-3 और 4 के द्वारा बताता है, जोकि प्रदर्श पी.-3 व 4 में अंकित समय से मेल नहीं खाता है । हालांकि वह मौके पर हस्ताक्षर करना कहता है, परंतु वास्तविकता में प्रदर्श पी.-5 में जिन पुलिसकर्मियों का जाना बताया है, उनकी मौके पर उपस्थिति प्रमाणित करने के लिए रोजनामचा सान्हा महत्वपूर्ण था, जो पेश नहीं किया, ऐसे में बचाव पक्ष का यह तर्क कि सभी पुलिसकर्मी होकर हितबद्ध हैं और झूठा मामला बनाया गया है, उसे बल मिलता है । क्योंकि कोई स्वतंत्र साक्षी उपलब्ध होते हुए भी पेश नहीं किया गया है, जिससे अभियोजन कथनक संदिग्ध होती है और प्रदर्श पी.-5 की एफ.आई.आर. का कथानक अ.सा.-5 की अभिसाक्ष्य से प्रमाणित नहीं माना जा सकता है ।

14. उक्त परिस्थितियों में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य निर्णय में निकाला गया निष्कर्ष कि अ.सा.-4 और 5 विश्वसनीय साक्षी हैं और उससे जप्ती प्रमाणित मानने में तथ्यात्मक भूल की जाना पायी जाती है। ऐसी स्थिति में आलोच्य निर्णय को यथावत् नहीं रखा जा सकता है, हालांकि यह सही है कि किसी तथ्य विशिष्ट को प्रमाणित करने के लिए

साक्ष्य की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं है और पुलिस साक्षी भी अन्य साक्षियों की तरह ही मूल्यांकन में लिये जाते हैं, किन्तु जो तात्विक विसंगतियां और लोप प्रकट हुए हैं, उससे जप्ती पत्रक को प्रमाणित नहीं माना जा सकता है क्योंकि जप्ती पत्रक प्रदर्श पी.-3 में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि आरोपी 315 बोर का कटटा कमर में बांये तरफ खुर्से था और कारतूस पैट की जेब में रखा था, जैसा कि अ.सा.-5 बताता है कटटा और कारतूस को अलग अलग रखे जाने का उल्लेख एफ.आई.आर. में भी नहीं है। फलतः अ.सा.-1, 4 एवं 5 को विश्वसनीय साक्षी नहीं माना जा सकता है और उनके आधार पर की गयी दोषसिद्धी उक्त स्थिति में अपास्त किए जाने योग्य है ।

15. फलतः अपील में लिए गये आधार सद्भावी और सुसंगत पाये जाते हैं । फलस्वरूप प्रस्तुत दाण्डिक अपील विचारणोपरांत स्वीकार की जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य निर्णय व दण्डाज्ञा दिनांक-10/5/2011 को अपास्त करते हुए आरोपी/अपीलार्थी सुनील को धारा-25 (1-बी)(ए) आयुध अधिनियम के आरोप के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है । अपीलार्थी द्वारा जप्त अर्थदण्ड विद्वान अधीनस्थ न्यायालय वापिस करे ।

16. अपीलार्थी/आरोपी के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत मुचलके आगामी 06 माह तक प्रभावी रखते हुए तत्पश्चात भारमुक्त किये जाते हैं ।

17. प्रकरण में जप्तशुदा आर्टिकल-ए का कटटा एवं आर्टिकल बी का कारतूस अपील/निगरानी अवधि पश्चात, विधिवत निराकरण हेतु डी.एम. भिण्ड को भेजे जावें । अपील/निगरानी होने की दशा में अपीलीय/निगरानी न्यायालय के निर्णय अनुसार निराकरण हो ।

दिनांक: 23 जून 2014

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर मेरे बोलने पर टंकित किया गया ।  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,  
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,  
गोहद जिला भिण्ड